(भारत के राजपत्र असाधारण भाग–II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन, नई दिल्ली

अधिसूचना सं. 21 /2023
दिनांकः 28th जुलाई, 2023

विषयः डी–आयल्ड राइस ब्रैन की निर्यात नीति में संशोधन।

सा.आ.(अ): विदेश व्यापार नीति, 2015–20 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं. 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा डी–आयल्ड राइस ब्रैन की निर्यात नीति से संबंधित आईटीसी एचएस निर्यात नीति की अनुसूची–2 के अध्याय 23 में निम्नलिखित संशोधन करती है:–

क्रम सं.	आईटीसी एचएस कोड	विवरण	मौजूदा नीति	नीतिगत शर्त
94 क	2306	खली और अन्य ठोस अवशिष्ट, चाहे पीसी हुई हो अथवा टिकियां के रुप में हो, वनस्पति अथवा माइक्रोबियल फेटस अथवा तेलों के निष्कर्षण से प्राप्त, शीर्षक 2304 अथवा 2305 की वस्तुओं के अलावा	मुक्त	तथापि, आईटीसी एचएस कोड 2306 और अन्य किसी एचएस कोड के अंतर्गत डी–आयल्ड राइस ब्रैन का निर्यात दिनांक 30.11.2023 तक निषिद्ध है।

2. **अधिसूचना का प्रभावः**

डी–आयल्ड राइस ब्रैन की निर्यात नीति को तत्काल प्रभाव से दिनांक 30.11.2023 तक 'मुक्त' से संशोधित करके 'निषिद्ध' किया गया है।

संतोष कुमार सारंगी
28.7.2023

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा.सं. 01/91/191/030/एएम21/ईसी/ई–36363 से जारी)